


08.12.2023:—आज पत्रावली पेशी में आई। उभयपक्ष उपस्थित। मूल वाद-पत्र राजीनामा अनुसार खारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़



जरा नदीप ना  
राजकीय कोर  
शर्व जीत को  
Moneeep kaur  
Ravinder Singh  
J. by me  
इ. श्री लाल